अति–आवश्यक

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

☎ : 0141-2385027(O), E-Mail ID: rajpr.dsplan@rajasthan.gov.in

क्रमांक: F4 ( ) PRD/ DP/ GPDP/ 2020-21/ 264 जयपुर, दिनांक: 28/5/2019

जिला कलक्टर,
जिला–समस्त।

विषयः–ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) वर्ष 2020–21 के निर्माण हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश।

जैसा कि आपको विदित है कि पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर से ग्राम पंचायतों को चौदहवें वित्त आयोग तथा राज्य से राज्य वित्त आयोग के तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद तथा संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों से संबंधित सभी केन्द्रीय/राज्य की योजनाओं यथा–महानरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, एकीकृत बाल विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इत्यादि (जो प्लान–प्लस में वर्णित है) एवं निजी आय के तहत उपलब्ध होने वाली राशि का उपयोग करने के लिए आर्थिक एवं सामाजिक न्याय हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) का निर्माण पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश वर्ष 2018 के अनुसार किया जावें।

आगामी वित्तीय वर्ष 2020–21 की ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) की निर्माण प्रक्रिया निर्धारित समय–सारणी के अनुसार पूर्ण की जाकर तैयार GPDP को प्लान–प्लस वर्जन–2 में दर्ज किया जाना है। ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) के निर्माण हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जावें–

- विभाग स्तर से जारी आदेशों की अनुसरण में ग्राम पंचायत समन्वय समिति (GPCC) का गठन प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाकर संबंधित जिला परिषद को अवगत करावें।
- ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण हेतु समुदाय में जागरूकता एवं सहभागिता बढ़ाने हेतु ग्राम विकास अधिकारी एवं सरपंच के स्तर से वार्ड पंच के सहयोग से माह मई–जून, 2019 में प्रत्येक वार्ड से एक महिला एवं एक पुरूष को स्वैच्छिक सदस्य के रूप में चिन्हित करेंगे, जो अपने वार्ड की आवश्यकताओं की पहचान करेंगे तथा ग्राम सभा में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी के लिए जागरूकता लायेंगे।
- स्वैच्छिक सदस्य अपनी ग्राम पंचायत में योजना निर्माण हेतु प्रचार–प्रसार करेंगे। इसके लिए ग्राम पंचायत के सहयोग से पैम्पलेट छपवायेंगे, नुक्कड़ नाटक, लाऊड स्पीकर, दीवार लेखन, डोडी पिटवाना, टी.वी., अखबार, नोटिसबोर्ड पर चस्पा, विद्यालय में प्रार्थना सभा में बच्चों को जानकारी देना इत्यादि माध्यमों द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावेगा। विभिन्न वर्गो का प्रतिनिधित्व कर रहे जनप्रतिनिधि भी प्रचार–प्रसार एवं

वातावरण निर्माण में सहयोग करेंगे। ताकि GPDP की ग्राम सभा के महत्व को सदस्य समझ सके और सकारात्मक वातावरण का निर्माण हो।

- महिला स्वयं सहायता समूह एवं महिला फोरम द्वारा महिलाओं को ग्राम सभा में अधिक से अधिक भागीदारी हेतु जागरूक किया जावें। इससे पूर्व महिलाओं के मुद्दों के लिए महिला सभा का आयोजन किया जावें।
- पिछले वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत को प्राप्त राशि (एफ.एफ.सी./एस.एफ.सी., केन्द्रीय/राज्य प्रवृतित योजनाएं, स्थानीय दानदाता, एन.आर.आई., गैर सरकारी संगठनों, कारपोरेट क्षेत्र, निजी आय इत्यादि) का आंकलन कर पूरे वर्ष की गतिविधियों की समन्वित योजना विभाग की गाईड लाईन में दी गई भौतिक एवं वित्तीय तालिकाओं में सेक्टर/विभागवार तैयार की जावें।
- गत वर्षो की ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDP) के अवलोकन के दौरान पाया गया है कि ज्यादातर निर्माण कार्यो के प्रस्ताव ही लिये गये है। अतः वर्ष 2020–21 की GPDP में मानव विकास के कार्य जैसे– शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, सामाजिक न्याय, आपदा प्रबंधन, आजीविका इत्यादि कार्य के साथ–साथ कम लागत व बिना लागत के कार्य यथा–बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं, बाल विवाह की रोकथाम, स्वच्छ भारत मिशन, सम्पूर्ण टीकाकरण, स्कूल/आंगनबाडी में नामांकन, बाल श्रम उन्मूलन इत्यादि भी परिलक्षित होने चाहिए। संवहनीय विकास लक्ष्यों (SDG's) को भी GPDP बनाते समय ध्यान में रखा जावें।
- पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देश–2018 (www.panchayat.gov.in→GPDP→GPDP Guidlines issued by MoPR→Model Guidelines for preparing GPDP) के साथ विभाग द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) के निर्माण हेतु जारी की गई मार्गदर्शिका "आपणी योजना आपणो विकास" वर्ष 2015 को भी ध्यान में रखा जावें।
- ग्राम पंचायत समन्वय समिति (GPCC) के सदस्य ग्राम पंचायत क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक, भौगोलिक, वित्तीय संसाधनों से संबंधित 11 सारणियों में सूचनाएं तथा मिशन अंत्योदय के सर्वे प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के विश्लेषण उपरांत अन्तराल (GAP) एवं अन्य विधाओं जैसे–क्षेत्रीय भ्रमण, सामाजिक मानचित्रण, समूह चर्चा, पी.आर.ए. इत्यादि के आधार पर ग्राम पंचायत तथा संविधान में 11वीं अनुसूचि में वर्णित 29 विषयों से संबंधित विभागों की आवश्यकताओं की प्राथमिकताओं का जनसहभागिता द्वारा गतिविधियों का निर्धारण कर ग्राम सभा में चर्चा हेतु प्रस्तुत करेंगे। तत्पश्चात् उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) का ग्राम सभा होने पर अनुमोदन करवाकर संबंधित पंचायत समिति को अग्रेषित किया जायेगा।
- पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायतों से प्राप्त विकास योजनाओं का समेकन एवं पंचायत समिति को प्राप्त होने वाली राशि से सम्पादित किये जाने वाले कार्य तथा पंचायत समिति स्तर पर संबंधित विभागों की योजनाओं/गतिविधियों को एकीकृत कर पंचायत समिति की साधारण सभा से अनुमोदित करवाकर पंचायत समिति की समग्र विकास योजना जिला परिषद स्तर पर अग्रेषित की जायेगी।
- जिला परिषद क्षेत्र की पंचायत समितियों से प्राप्त विकास योजनाओं का समेकन एवं जिला परिषदों को प्राप्त होने वाली राशि से सम्पादित किये जाने वाले कार्य तथा जिला परिषद स्तर पर संबंधित विभागों की योजनाओं/गतिविधियों को एकीकृत कर जिला परिषद की साधारण सभा से अनुमोदित करवाकर जिला परिषद की समग्र विकास योजना जिला आयोजना समिति (DPC) को अग्रेषित करना।

- जिला आयोजना समिति के सदस्य सचिव (मुख्य आयोजना अधिकारी) द्वारा जिला परिषद एवं शहरी निकाय की योजनाओं को समेकित कर एकीकृत जिला वार्षिक योजना जिला आयोजना समिति (DPC) के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

योजना निर्माण हेतु समय–सारणी निम्नानुसार है–

क्र.सं.	गतिविधियां/चरण	समय सारणी
1.	ग्राम सभा बैठकों में योजना प्रक्रिया का आरंभ	गई गाह गें
2.	क्षेत्रवार डेटा संग्रहण, समेकन और स्थिति विश्लेषण	मध्य – जुलाई तक
3.	क्षेत्रीय स्थायी समितियों को प्राथमिकीकरण और निधियों का आवंटन और प्राथगिकीकरण	जुलाई अंत तक
4.	क्षेत्रवार मसौदा योजना और बजट तैयार करना और स्थायी समितियों की बैठक में ग्राम पंचायत के मसौदे योजना और बजट को प्रस्तुत करना	मध्य–सितम्बर से मध्य अक्टूबर तक
5.	विशेष ग्रामसभा में ग्राम पंचायत के मसौदे योजना और बजट का प्रस्तुतीकरण	अक्टूबर के अंत तक
6.	वार्ड सभा बैठकों में ग्राम पंचायत के मसौदे योजना और बजट का प्रस्तुतीकरण (जहां यह लागू हो)	नवम्बर
7.	अनुमोदन के लिए ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत के मसौदे योजना और बजट का प्रस्तुतीकरण	31 दिसम्बर तक

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि.एवं पं.रा.वि., जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पं.रा.वि., जयपुर।
4. 29 विषयों से संबंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, ...।
5. जिला प्रमुख, जिला–समस्त।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद–समस्त।
7. मुख्य आयोजना अधिकारी, जिला आयोजना प्रकोष्ठ, जिला–समस्त।
8. प्रधानगण, पंचायत समिति–समस्त।
9. विकास अधिकारी, पंचायत समिति–समस्त।
10. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर एवं उपनिदेशक, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त मुख्य सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज